संख्या:-80/2021/200आ0/23-5-21-20(भवन)/2020टीसी

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 26 जुलाई, 2021**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, राजस्व लेखा के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद रायबरेली व वाराणसी में विशेष मरम्मत के 02 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-147बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/21-22, दिनांक 13-07-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित कुल धनराशि **रू0 26.43 लाख (रू0 छब्बीस लाख तैंतालिस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	15/2020/08आ0/23-5-20-06(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 02.03.2020	रायबरेली में लखनऊ इलाहाबाद मार्ग पर बटोही ऊँचाहार के निकट स्थित निरीक्षण भवन(2 सूट) की मरम्मत का कार्य।	08.52	00.13	08.39	08.39
2	51/2021/106आ0/23-5-21-23(भवन)/2020टीसी, दिनांक 23.03.2021	सर्किट हाउस(पुराना) वाराणसी में वाहय प्रकाश व्यवस्था एवं लान के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	18.34	00.30	18.04	18.04
योग :-			**26.86**	**00.43**	**26.43**	**26.43**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-053-रख-रखाव तथा मरम्मत-06-सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत-00-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या:-80/2021/200आ0(1)/23-5-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त लखनऊ व वाराणसी।
4- जिलाधिकारी रायबरेली व वाराणसी।
5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(वि0/याँ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता(म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- अधीक्षण अभियन्ता, 44वां(वि0/याँ0) वृत्त, लो0नि0वि0, वाराणसी।
13- अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ[1]
14- अधिशासी अभियन्ता, वि0/याँ0 खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, रायबरेली।
16- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।